राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

''वित्त *भवन*'' *जनपथ, जयपुर–302005*

(दूरभाष 0141–2740735, फैक्स 0141–2742309, ई मेल :jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांकः–एफ.4(ई)(1)(6)/क. ले. प्रशि./2022–23/अलेसे–III/1256 दिनांक :– 19.10.2022

आदेश संख्याः–639 2022–23

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नांकित कार्मिकों को हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान (रीपा), पुराने आर.टी.ओ. ऑफिस के सामने छत्रपुरा, रामचन्द्रपुरा, डीसीएम रोड़ कोटा–324007 में दिनांक 31.10.2022 से 23.12.2022 तक आयोजित होने वाले कनिष्ठ लेखाकार पद के लिए आठ सप्ताह के संस्थानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में दिनांक 31.10.2022 को प्रातः 09:30 बजे संस्थानिक प्रशिक्षण के लिए उपस्थिति देने हेतु मनोनीत किया जाता हैः–

क्र. सं.	कनिष्ठ लेखाकार का नाम व पिता का नाम (सर्व श्री)	लिंक नं.	मेरिट नं.	पदस्थापन कार्यालय का नाम
1.	जया पारीक पुत्री श्री बृज किशार पारीक	43426	2171–ए/2013	कोषालय, जयपुर (शहर)
2.	मुकेश कुमार पुत्र श्री मलजी मईडा	43425	3627/2013	उपकोषालय, कुशलगढ़ (बांसवाड़ा)
3.	रेखराज माली पुत्र श्री सत्यनारायण माली	43424	1256/2013	न्यायाधीश, साम्प्रदायिक दंगे प्रकरण, टोंक
4.	राजेश पूनियां पुत्र श्री पूरन सिंह	43423	3003–ए/2013	कोषालय, भरतपुर
5.	दिलकुश मीना पुत्र श्री रामधन मीणा	11331	2757/2013	बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएं, बौंली, सवाई माधोपुर
6.	आशा कंवर पुत्री श्री दलपत सिंह	43422	2880–ए/2013	कोषालय, जोधपुर (शहर)
7.	चम्पालाल पुत्र श्री खेता राम	43421	डीजीएस/	जिला परिषद् मनरेगा, बाडमेर
8.	प्रियंका कुमावत पुत्री श्री सीताराम कुमावत	43427	डीजीएस/	कोषालय, जयपुर (शहर)

उक्त प्रशिक्षण की अवधि आठ सप्ताह (सात सप्ताह का संस्थानिक प्रशिक्षण व एक सप्ताह का परीक्षा कार्यक्रम) की होगी तथा प्रशिक्षण का समय प्रातः 09:30 बजे से सायः 06:00 बजे तक रहेगा। उक्त प्रशिक्षण की अवधि में सभी प्रशिक्षणार्थियों को वेतन एवं भत्ते आदि का भुगतान उनके वर्तमान पदस्थापन कार्यालय द्वारा ही किया जावेगा।

यह प्रशिक्षण पूर्णतः गैर आवासीय है, अतः प्रशिक्षणार्थी को आवास व खान–पान आदि की व्यवस्था स्वयं के स्तर पर करनी होगी।

उपरोक्त सभी कार्मिकों को राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम–1963 के नियम 32(2) के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त कर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। अतः संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि व उनके कार्यालय/विभाग में कार्यरत उपरोक्त समस्त कार्मिकों को प्रशिक्षण हेतु आवश्यक रूप से कार्यमुक्त करें। किसी भी कार्मिक को प्रशिक्षण से मुक्त रखना संभव नहीं होगा। प्रशिक्षण की समाप्ति उपरान्त उपरोक्त सभी कनिष्ठ लेखाकार अपने वर्तमान पदस्थापन कार्यालय में ही उपस्थिति देंगे।

यदि किसी कार्मिक ने कनिष्ठ लेखाकार पद का संस्थानिक प्रशिक्षण पूर्व में ही प्राप्त कर लिया है तो उसे पुनः प्रशिक्षण के लिए कार्यमुक्त नहीं किया जावें। यदि किसी कार्मिक के वर्तमान पदस्थापन कार्यालय में कोई परिवर्तन हुआ है तो उसे परिवर्तित कार्यालय (वास्तविक रूप से कार्यरत कार्यालय) के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा कार्यमुक्त किया जावेगा।

संस्थानिक प्रशिक्षण का यह अन्तिम बैंच है, यदि इसमें कार्मिक अनुपस्थित रहता है तो उसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा।

उपरोक्त कनिष्ठ लेखाकारों के अतिरिक्त अन्य कनिष्ठ लेखाकार यदि उक्त आठ सप्ताह के संस्थानिक प्रशिक्षण से वंचित हो तो शीघ्र ही सूचना निदेशालय को ई_मेल :jacct.dta@rajasthan.gov.in पंर एवं हार्ड प्रति में निदेशालय को भिजवाए।

(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः—एफ.4(ई)(1)(6) / क. ले. प्रशि. / 2022—23 / अलेसे—III / 1256 दिनांक :— 19.10.2022

प्रतिलिपि निम्नाकिंत को सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. महानिदेशक, ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।
2. प्रभारी अधिकारी, (प्रशिक्षण एवं आयोजना) ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक / सहायक निदेशक, हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (रीपा), पुराने आर.टी.ओ. ऑफिस के सामने छत्रपुरा, रामचन्द्रपुरा, डीसीएम रोड़ कोटा—324007 को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त कार्मिकों को प्रशिक्षण की समाप्ति पर उनके वर्तमान विभाग / कार्यालय के लिए कार्यमुक्त कर निदेशालय का सूचित करे।
4. विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष.. ....को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कार्मिक को प्रशिक्षण हेतु आवश्यक रूप से कार्यमुक्त कर इस विभाग को अवगत करावें क्योंकि किसी भी कार्मिक को प्रशिक्षण से मुक्त रखना संभव नही होगा।
5. संबंधित कार्मिक को प्रेषित कर लेख है कि उक्त संस्थानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में नियम तिथी / समय पर उपस्थित होकर उपस्थिति की सूचना निदेशालय को अविलम्ब भिजवाना सुनिश्चित करें, अन्यथा उनके विरूद्ध नियमानुसार की जाने वाली अनुशासनिक कार्यवाही के लिए तथा निर्धारित समयावधि में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करने के प्रतिफल के लिए स्वंय जिम्मेदार होंगे।
6. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
7. उपनिदेशक (एसीपी) कम्पयूटर शाखा (वेबसाईट हेतु)
8. रक्षित / निजी पत्रावली।

(के.जी. गुप्ता)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक—II / III)